कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

विभागीय अपील क्रमांक/वि.अ./237/2025/

निर्णय अपील

उपस्थितः— श्री मनीष कसाना, उप प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक।

दिनांकः— 11-11-2025

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत विभागीय अपील द्वारा अपीलांट श्री मनीष कसाना, तत्कालीन उप प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक, राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर हाल प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. झेरदा बेरा, ब्लॉक सिवाना (बालोतरा), जिला बाडमेर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/सस्था/एफ.(सी.सी.ए.)(17)/25/271 दिनांक 11.06.2025 जिसमें अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप प्रमाणित होने के परिणामस्वरूप एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक कअ/सस्था/एफ.(सी.सी.ए.)(17)/25/1375 दिनांक 31.03.2024 जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी को निम्न आरोपों से आरोपित किया गयाः—

आरोप संख्या—1

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 31.03.2024 को आयोजित की गई सहायक आचार्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित आपके परीक्षा केन्द्र पर आप बतौर केन्द्राधीक्षक नियुक्त थे। परीक्षा दिनांक को द्वितीय पारी में श्रीमान डी.आई.जी महोदय एस.ओ.जी. राज. जयपुर द्वारा आपके केन्द्र पर औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप द्वारा जिस कक्ष में गोपनीय परीक्षा सामग्री खुलवाई जा रही थी, उक्त कक्ष में एक फोटो स्टेट मशीन रखी हुई पाई गई थी एवं उक्त कक्ष में इन्टरनेट सुविधा भी चालू थी। जिसके संबंध में माननीय राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली परीक्षा निर्देशिका में विषय 10 के बिन्दु केन्द्राधीक्षक के परीक्षा पूर्व के कार्य में बिन्दु संख्या 8 एवं विषय 12 के बिन्दु संख्या 13 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जिस कक्ष में गोपनीय परीक्षा सामग्री खुलवाई जाती है, उस कक्ष में परीक्षा दिनांक को परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की फोटे कॉपियर्स या स्कैनर या फैक्स या उपस्थित कार्मिकों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/इंटरनेट उपयोग की अनुमति नहीं है, इस प्रकार आप द्वारा उक्त निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

आरोप संख्या –2

आप द्वारा परीक्षा में नियोजित कार्मिकों के मोबाईल फोन बिना स्वीच ऑफ कराये दराज में रखा दिये गये जबकि उक्त मोबाईल फोन को स्वीच ऑफ किये जाने के पश्चात् अलमारी में सील करके रखा जाना चाहिये था। इस प्रकार आप द्वारा उक्त निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई।

आपका उक्त कृत्य आयोग एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना किया जाना दर्शाता है। आप द्वारा आपको सौपें गये कार्यो में पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया तथा आप द्वारा की लापरवाही से परीक्षा की गोपनीयता भंग होने का खतरा भी बना रहा।

इस प्रकार आप द्वारा पदीय कर्तव्यों की पालना नहीं करने व स्वैच्छाचारिता के कारण राजकार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हुई है, जो राजकार्य के प्रति आपकी लापरवाही के साथ–साथ अनुशासनहीनता को दर्शाता हे। जिसके लिये आप जिम्मेदार हैं।

अपीलार्थी/आरोपित को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपों का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा **लिखित अभिकथन** प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर के दण्डादेश दिनांक 11.06.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर दण्डादेश को चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर अपीलार्थी श्री मनीष कसाना, उप प्राचार्य को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, अजमेर से संबंधित अभिलेख व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि दिनांक 31.03.2024 को द्वितीय पारी का परीक्षा समय 2.30 पी.एम. से 5.30 पी.एम. तक था, परंतु एस.ओ.जी. टीम परीक्षा समय से लगभग 45 मिनट पूर्व 1.45 पी.एम. पर परीक्षा केन्द्र में निरीक्षण हेतु आ गई थी। गोपनीय कक्ष से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा फोटो कॉपियर्स, स्कैनर, फैक्स, इन्टरनेट आदि बंद कर परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व हटाकर अन्य खाली कक्ष में रखने की कार्यवाही की जा रही थी। द्वितीय पारी परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले कुछ फार्म स्पष्ट नहीं होने के कारण उनकी साफ कॉपी निकलवाने का कार्य किया जा रहा था, उसी समय एस.ओ.जी. की टीम निरीक्षण हेतु आ गई थी, परंतु परीक्षा प्रारम्भ नहीं हुई थी। फोटो कॉपियर्स का कार्य होने के पश्चात् फोटो कॉपियर्स मशीन को गोपनीय कक्ष से हटाकर अन्य कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था। एस.ओ.जी. टीम के समक्ष ही निर्धारित समय 2 बजे प्रश्न पत्रों के बॉक्स को

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

खोलकर परीक्षा कक्षों में शील्ड प्रश्न पत्र के लिफाफे वितरित कर परीक्षा सम्पन्न करवाई गई। आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों की पूर्ण पालना कर परीक्षा सम्पन्न करवाई गई। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, अजमेर के दण्डादेश दिनांक 11.06.2025 को निरस्त करने का निवेदन किया।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, प्रतिरक्षण एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया गया।

आरोपी का कथन है कि द्वितीय पारी मे परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व गोपनीय कक्ष से फोटो स्टेट मशीन व अन्य उपकरण हटवाए जा रहे थे एवं इन्टरनेट बंद किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी, इसी दौरान एस.ओ.जी. की टीम निरीक्षण हेतु आ गई। यहां यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि प्रथम पारी की परीक्षा के दौरान फोटो स्टेट मशीन, स्कैनर, फैक्स आदि उपकरण इसी कक्ष में रखे हुए थे, जो कि नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। एस.ओ.जी. की निरीक्षण टीम द्वारा इसे गम्भीर अनियमितता माना है। इस प्रकार केन्द्राधीक्षक का यह प्रथम दायित्व था कि परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम इसकी जांच की जानी आवश्यक थी, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा उपलब्ध करवाई गई परीक्षा निर्देशिका अनुसार परीक्षा केन्द्र पर समस्त व्यवस्था कर दी गई है, परंतु अपीलार्थी श्री मनीष कसाना केन्द्राधीक्षक द्वारा लापरवाही बरतते हुए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से नियमों के अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः इस आधार पर हम जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 11.06.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री मनीष कसाना, तत्कालीन उप प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक, राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर हाल प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. झेरदा बेरा, ब्लॉक सिवाना (बालोतरा), जिला बाडमेर की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक कअ/सस्था/एफ.(सी.सी.ए.)(17)/25/271 दिनांक 11.06.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णयादेश की प्रति संबंधित अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर